आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 14 JUL 2022

आदेश

नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की ऐसी समस्त कृषि भूमि जिन पर मास्टर प्लान अधिसूचित किये जाने से पूर्व अथवा नगर पालिका गठन से पूर्व एवं दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर निर्माण हो चुका है, को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए (8) सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम–13 (दिनांक 10.05.2022 को यथा संशोधित) के तहत कार्यवाही की जाकर भूमि निकाय के नाम दर्ज की जावे और उसकी किस्म आबादी दर्ज की जावे।

ऐसे भूखण्डों/निर्माणों को मास्टर प्लान में भिन्न भू–उपयोग दर्शाये जाने पर भी कमिटमेन्ट मानते हुए अनुज्ञय मानकर धारा 90–ए(8) की कार्यवाही की जायेगी एवं संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 71, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54–बी, अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 49–बी एवं नगर सुधार अधिनियम की धारा 60(4) (जो भी लागू हो) सुओ–मोटो सर्वे कराकर 60 प्रतिशत से अधिक (सघन आबादी) निर्माण है, तो न्यूनतम 20 फीट सड़के रखते हुये और 60 प्रतिशत से कम निर्माण हो, तो 30 फीट की सड़के रखते हुये बसावट के अनुसार शुल्क व लीज लेकर फ्री–होल्ड के पट्टे दिये जा सकेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamSc